FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत ———उपखण्ड अधिकारी——— मुकाम ———चिड़ावा———
———बनवारीलाल———बनाम ———शेरसिंह वगै0 ———
किस्म मुकदमात———प्रार्थना पत्र—212—नं.—01—सन —2021—

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
05.01.21	आज यह प्रार्थना पत्र बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड ए0 डी0 नोटिस नकल प्रार्थना पत्र भेजकर की जावे। वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि भूमि खसरा 136 रकबा 1.17 है0, खसरा नं0 137 रकबा 1.73 है0 मौजा ग्राम नूनियां गोठड़ा के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तिथि तक बनाये रखे। मिसल वास्ते तलबी हेतु दिनांक 15.02.2021 को पेश हो। sd/- उप खण्ड अधिकारी चिडावा जिला झुन्झुनू (राज.)	
9/1/21	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से जरिये वकील प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का पेश करने पर पत्रावली आज की पेशी पर ली गई। मिसल वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 29-1-21 को पेश हो। sd/- उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा	
29/1/21	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिकेन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आमन्दा दिनांक 3-2-21 को पेश हो।	
-21	पत्रावली पेश हुई। [illegible] द्वारा चाहे गये अनुतोष के मुताबिक [illegible] किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज sd/- उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2021.08.03 12:50:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मामले के काम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। संलग्न मूल दावा हो।

उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2021.08.03 12:50:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner